

LIL:CS:2019-20 Date: 17.03.2020

BSE Limited	The National Stock Exchange of India Limited			
Listing Compliance Department	Listing Compliance Department			
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1 Block G,			
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex,			
	Bandra (E), Mumbai – 400051			
Company Code: 517206	Company Code: LUMAXIND			

Subject: <u>Submission of clippings of Notice published in the newspapers for fixation of</u> Record Date

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith clippings of Notice duly published in the today newspaper viz. the Financial Express (English- All Edition) and Jansatta (Hindi- Delhi Edition) regarding fixation of record date for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for payment of interim dividend for the financial year 2019-2020.

The published copies of aforesaid notice will also be made available on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxindustries.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

PANKAJ MAHENDRU COMPANY SECRETARY M. NO. A-28161

Encl.: as stated above



T +91 124 4760000 E lil.ho@lumaxmail.com



efies ng virus

1-

ic.

id

partybe"freed"from Bengaluru and allowed to come to Bhopal.

Chouhan and Leader of Opposition Gopal Bhargava led the BJPMLAs who met the Governor, and submitted a letter signed by all of them. When Tandon asked if they had come voluntarily, the MLAs raised their hands in affirmation. Accusing the Congress of using excuses to avoid a floaor test, the BJP leaders urged the Governor"to protect democracy". Maihar MLA Tripathi, who was not a part of the BJP delegation, accompanied the Congress leaders out of the Assembly premises. He was one of the two BJP MLAs who voted with the Congress on a Bill in the July 2019 session.

The Congress asked how the BJP could prove its numbers by parading 106 MLAs, arguing that the strength of the House remained 222 (two vacancies have been caused by death, while the resignation of six Congress MLAs has already been accepted by the Speaker). The Speaker has said he would take a call on the resignations of the other 16 Congress rebel MLAs when they appear in person before him.

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that E I DuPont India Private Limited (Now known as "CORTEVA") has agreed to the transfer its registrations in India under The Insecticides Act, 1968 of Bensulfuron-Methyl to PI Kumiai Private Limited (with Corporate Identity Number (CIN) of U51909HR2017PTC069751), having its Regd. Office at 2-B, 1601, 16th Floor, Two Horizon Centre, DLF City Phase-V, Gurugram-122 002 (Haryana), which is a Joint Venture of PI Industries Limited and Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd. Post publication of this notice and approval of the authority, the registration certificates shall stand duly transferred in the name of PI Kumiai Private Limited.

For PI Kumiai Pvt. Ltd.

Sd/-Praveen Jajoo Director

Place: Gurugram Date: 16.03.2020 (DIN: 08686897)

Delhi bans gathering of more than 50, CM hints at Shaheen Bagh as well

SOURAV ROY BARMAN New Delhi, March 16

MOVING TO TIGHTEN measures aimed at checking the spread of coronavirus, Delhi chief minister Arvind Kejriwal Monday announced that any gathering - be it religious, family, social, political or cultural - of more than 50 people will not be allowed in the national capital.

The ban on gatherings, Kejriwal indicated, will cover the Shaheen Bagh protest as well. "It will be applicable to everyone, be it protest or any other gathering," he said, when specifically asked about the sit-in against CAA, NPR and the proposed NRC, which has been on for three months now.

Meanwhile, Haryana chief minister Manohar Lal Khattar appealed to MNCs in Gurgaon to reduce attendance at their offices, and allow as many people as possible to work from home as a precaution against the spread of coronavirus.

Seven people have tested positive for coronavirus in Delhi so far - while two have been discharged, a 68-year-old woman



has died, and the rest are under observation.

"Any gathering social/cultural/political/religious/academic/sports/seminar/conference and family mass gathering

(except marriages) is restricted to a maximum of 50 persons in NCT of Delhi till March 31, 2020," states the order issued by the Delhi health department.

"Marriage functions will be out of its purview as of now but we appeal to people to postpone weddings if possible," Kejriwal told a press conference after reviewing his government's efforts with district magistrates,

sub-divisional magistrates, municipal commissioners and cabinet ministers.

The government has also ordered the shutting of gyms, night clubs and spas in the city until March 31. On possible closure of shopping malls, Kejriwal said a decision will be taken in a day or two, though the management of malls have been directed to disinfect the premises daily and also ensure entry of visitors after sanitising their hands.

The Delhi government had previously ordered closure of schools, colleges and cinema halls until March 31. The CM said the government is implementing the guidelines of the Centre and working with it in close coordination. "We are quarantining people wherever needed. For possible large-scale hospitalisation, we have made sufficient arrangements, including setting aside 500 beds. There is no need for them as of now. People who came in touch with patients have been home quarantined. I appeal to people to ensure home quarantined people abide by norms," he added.

MCD commissioners and SDMs have also been directed to arrange mobile wash basins in public places. Asked about the possibility of a sudden spike like in Italy, Kejriwal said, "We can only learn from other countries. Italy has seen exponential growth. But in India, community transmission has not started."

"I have directed all DMs, SDMs and municipal commissioners to set up portable wash basins with automatic soap dispensers in public spaces that have not yet been shut. The most foolproof way to stop coronavirus from spreading is frequent washing hands with soap," Kejriwal later tweeted.

LUMAX

LUMAX INDUSTRIES LIMITED

DK JAIN Regd. Office: 2st Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046 Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Tel: 011-49857832 Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

NOTICE OF RECORD DATE FOR INTERIM DIVIDEND

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, Regulation 42, 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Company in its meeting held today i.e. Monday, 16th March, 2020, has declared an interim dividend of Rs. 17.50/- per equity share (i.e. 175%) of Face Value of Rs. 10/- per share for the Financial Year 2019-2020.

The Company has further fixed the "Record Date" as Thursday, 26th March, 2020 for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for payment of aforesaid interim dividend for the financial year 2019-2020.

For LUMAXINDUSTRIES LIMITED

Place: Gurugram Date: 16.03.2020

PANKAJ MAHENDRU COMPANYSECRETARY

DCB BANK

कश्मीर में बर्फ में फंसे 160 नागरिकों को सेना ने सुरक्षित निकाला

जम्मू, 16 मार्च (भाषा)।

भारतीय सेना ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर में बर्फ से ढंके गरेज में फंसे 160 नागरिकों को विमान के जरिये सरिक्षत निकाल लिया गया। सकुशल निकाले गए लोगों में से चार गंभीर रोगी भी हैं।

उधमपुर स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत ने यहां वक्तव्य जारी कर कहा कि सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की डावर बटालियन ने रविवार को यह बचाव अभियान चलाया नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गुरेज घाटी वर्तमान में बांदीपोरा जिला मुख्यालय से कटी हुई है। राजदान दर्रे और बांदीपोरा और कन्जलवान को जोडने वाली सडक पर बर्फ की सफाई का काम शुरू हो चुका है और यह अप्रैल अंत तक ही समाप्त हो पाएगा।

रक्षा प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि सेना के डावर गैरिसन को गुरेज और बांदीपोरा में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए नागरिक प्रशासन से अनुरोध प्राप्त हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत ने कहा, 'आगामी उच्चतर माध्यमिक और स्नातक परीक्षाओं को देखते हए स्थानीय लोग गुरेज लौटने के लिए परेशान थे। देश के विभिन्न भागों में पढ़ाई कर रहे छात्र भी अपने कालेज लौटना चाहते थे।' उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सिविल मेडिकल कर्मचारियों को भी सेना की सहायता से कोविड-19 से लड़ने की तैयारी करने के लिए गुरेज भेजा गया था।



ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

DK JAIN सीआईएन : L74899DL1981PLC012804 पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन—II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली—110046 वेबसाइटः www.lumaxworld.in/lumaxindustries दूरमाष : 011-49857832 इंमेल : lumaxshare@lumaxmail.com,

अंतरिम लाभांश के लिए अभिलिखित तिथि की सूचना एतदद्वारा यह सचित किया जाता है कि अध्याधीन निर्मित्त नियमों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 91, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42, 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा आज अर्थात सोमवार, 16 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए 10 / — रूपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर के लिए प्रति इक्विटी शेयर 17,50 / – रूपए के अंतरिम लाभांश (अर्थात 175 प्रतिशत)

कम्पनी द्वारा इसके संबंध में वित्तिय वर्ष 2019—2020 के उपर्युक्त अंतरिम लाभांश के भूगतान के लिए शेयरधारकों की अर्हता ज्ञात करने के उददेश्य से बृहस्पतिवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को "रिकार्ड तिथि" निश्चित किया गया है।

> कृते ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड श्री पंकज महेन्द्र

> > कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम दिनाकः 16.03.2020

177, हैदरपुर, निकट बस स्टैण्ड, दिल्ली-110088 दूरभाष : 011-27490670, 27490671

ए सिडिकेटबैंक SyndicateBank अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

ई-मेल : br.9021@syndicatebank

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने सांकेतिक कब्जा कर लिया था, का विक्रय सम्बद्ध कर्जदार(रों) जमानती(यों) से नीचे तालिका में उल्लिखित तिथि पर बैंक/प्रतिभूत लेनदार के बकाये की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मुल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख लिखित के अनुरूप की जायेगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

ял. सं.	कर्जदार : सैफी मोटर्स मोहम्मद अकील 613 नूर नगर सिहानी, गाजियाबाद-201001 आश्वस्तियाँ :	खसरा नं. 644, म.नं. 525, नया नं. 613, वार्ड सं.	अधिनयम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि (ब) बकाया राशि 1.7.2019	प्रकृति तथा तिथि 11.12.2019 को सांकेतिक कब्जा लिया गया	(अ) आराक्षत मूल्य (ब) ईएमडी राशि/ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि (स) संविदा वृद्धि राशि (अ) रु. 34,00,000/-	नीलामी की तिथि/सम् य 30.4.202 0/ 11:00 बजे पूर्वा. से				
	1. आस मोहम्मद म.नं. ए-102, रघुवीर एन्कलेव ग्राम पसोंदा, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 2. नवाब अली पुत्र नजीर अहमद म.नं. 457, हिंडन विहार, 300 फीट सड़क, हिंडन धर्म कांटा के पीछे, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001. 3. मोहम्मद अकील म.नं. 525 (पुराना) 613 (नया) मोहल्ला नूर नगर, हिंडन विहार, निकट बड़ी मस्जिद, गाँव सिहानी, गाजियाबाद-201001	30, नूर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. स्वामित्व श्री मोहम्मद अकील	(रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ अट्टासी एवं चालीस पैसे मात्र) तथा ब्याज एवं लागत।		(祖) 表. 50000	बजे अप.				
2.	कर्जदार : सैफी फर्नीचर 613, निकट न्यू मस्जिद, नूर नगर, सिहानी, गाजियाबाद-201001 आश्विरतयाँ : 1. म.नं. 525 (पुराना) 613 (नया) मोहल्ला नूर नगर, खसरा नं. 644, वार्ड सं. 30, गाँव सिहानी, गाजियाबाद- 201001 2. आकिब सैफी म.नं. 613, मोहल्ला नूर नगर, बड़ी मिस्जिद, ग्राम सिहानी, गाजियाबाद- 201001	खसरा नं. 644, म.नं. 525, नया नं. 613, वार्ड सं. 30, नूर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वामित्व श्री मोहम्मद अकील	1.7.2019 30.06.2019 तक रु. 1612977.44 (रुपये सोलह लाख बारह हजार नौ सौ सहतत्र एवं चौवालीस पैसे मात्र) तथा ब्याज एवं लागत	11.12.2019 को सांकेतिक कब्जा लिया गया	(ঝ) হ. 34,00,000/- (ব) 340000/- 27.4.2020 (स) হ. 50000	30.4.202 0/ 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.				
नियम एवं शर्ते :										

1. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान से उल्लिखित है

किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। . विक्रय के विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट www.syndicatebank.ir में प्रावधानित लिंक देखें

स्थान : नई दिल्ली

अधिकृत प्राधिकार्र (सिंडीकेट बैंक

प्रपत्र क सार्वजनिक घोषणा अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण

ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार का नाम कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 21.12.1984 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली निगमित / पंजीकत है U19202DL1984PTC019648 कापौरेट देनदार की कापौरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या ग्राजंड फ्लोर, 4532 / 12, जय माता मार्केट, कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा त्री नगर, नई दिल्ली-110035 प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध आदेश की तिथि - 16.01.2019 को 16.01.2020 सही माना गया है अधमता आरंभन तिथि आदेश दिनांक 13.03.2020 को IA संख्या 1599 में C.P.

एनसीएलटी, नई दिल्ली द्वारा आई.बी.-2217 (एनडी) / 2019 नसीएलटी की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने / और की तिथि या आईआरपी को आदेश की सूचना – 16.03.2020 ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 14.07.2020 समापन की पूर्वानुमानित तिथि अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत | सुनील प्रकाश शर्मा ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726 रजिस्ट्रेशन नम्बर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और लोअर ग्राउंड फ्लोर, ई —25, लाजपत नगर —3,

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेत् | लोअर ग्राउंड पलोर, जे-12, जंगपुरा एक्सटेंशन, प्रयुक्त, पता और ई-मेल नई दिल्ली –14. **फोन**: 011-41716695 इमेल : irpsunil.oswalindustries@gmail.com दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि ² अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की अभी तक पता नहीं चला है

4 उप–धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई

ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है

(ख) फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं

www.readwhere.com

किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं रूप में कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोकेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) विनियम 7, 8, 8ए. 9 और 9ए के संदर्भ में कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए 14. (क) संबंधित प्रपन्न

दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 के अनुसार दावे , निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्रस्तृत किया जा सकते हैं **फॉर्म बी**— परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामकाजी और कर्मधारियों को छोडकर **फॉर्म सी**— वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म डी**— काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए **फॉर्म ई**— श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि

नई दिल्ली –24 **ईमेल** : adv.sunilprakash@gmail.com

फार्म एफ- लेनदारों द्वारा दावों के लिए

https://ibbi.gov.in/home/downloads तदहारा सुचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक **16 जनवरी 2020** को **ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेर**

हे विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 31 मार्च 2020 को अधवा पूर्व अंतरिम समाधा-प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तृत करने की मांग की जाती है।

वेलीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों क माण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। हस्ता/-दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। सुनील प्रकाश शर्मा पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726

वायुसेना के जवानों की हत्या का मामला, यासीन मलिक और छह अन्य लोगों पर आरोप तय

जम्मू, 16 मार्च (भाषा)।

ने वायुसेना के जवानों की हत्या से संबंधित 30 साल पुराने एक

जेकेएलएफ के प्रमुख यासीन टाडा मामलों पर सुनवाई के लिए जम्मू की एक विशेष अदालत मिलक और छह अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए। अधिकारियों ने यह

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

कापरिशन बेक सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक अंचल कार्यालयः दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005,

दिनांक 06.03.2020 को दिल्ली संस्करण में इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा एआरएमबी शाखा के खाते के कर्जदार : मैसर्स स्वस्तिक ट्रेडर्स की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 21-03-2020 को होनी थी हम इस सम्पत्ति की ई-नीलामी को निरस्त करते है। अन्य सभी खातों / विवरण उपरोक्तानुसार अखबार में छपे ई-नीलामी सूचना के अनुसार रहेगीं।

फोन : 011-28754615, 28754642,

ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय ऋणशोध एवं दिवाला (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)]

कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड परिसमापनाधीन के हितधारकों के ध्यानार्थ भारतीय ऋणशोध एवं दिवाला (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31(2) के अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड परिसमापनाधीन (''कॉर्पोरेट देनदार'') के हितधारकों की सुची परिसमापक द्वारा तैयार की गयी है जिसे 17 मार्च, 2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (''माननीय एनसीएलटी'') के समक्ष दाखिल किया गया है।

चुँकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई क्रियात्मक वेबसाइट नहीं है अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए जिस सीमा तक दावे प्रतिभृति/अप्रतिभृत हैं हितधारकों का विवरण तथा खण्ड में स्वीकृत/अस्वीकृत तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत प्रमाणों यदि कोई हो, को परिसमापक के अग्रलिखित लिंक: "http://www.insolvencyandbankruptcy.in/notices " पर देखा जा सकता है। दावे अस्थायी तौर पर स्वीकृत हैं और किसी परिवर्तन को माननीय एनसीएलटी को सूचित किया जायेगा।

हितधारकों को पुनः अधिसुचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के पास दाखिल हितधारकों की सूची में प्रविष्टियों में कोई संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी के पास आवेदन दाखिल करके ही किया जा सकता है।

तिथि : 16 मार्च, 2020 दीपिका भुगरा प्रसाद (परिसमापक) स्थान : नई दिल्ली कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) आईपी पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-003/IP-N000110/201 7-2018/11186

हमिंग बर्ड एजकेशन लिमिटेड

वेबसाइट: www.hummingbirdeducation.com

सीआईएन : L80221DL2010PLC207436 पंजीकृत कार्यालय : 1374-1375, द्वितीय तल, कटरा लेहस्वान, चाँदनी चौक, दिल्ली-11006

ई-मेल: hummingbirdeducation@gmail.com कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम. 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013

अधिनियम) की धारा 108 के अनुसार निम्नलिखित सूचना दी जाती है: इकाई सं. 705, 7वीं मंजिल, बी-08, जीडी आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110030 पर 10 अप्रैल. 2020 को 12:30 बजे अपराह्न आयोजित की जाने वाली असाधारण आम बैठक हेत् 12 मार्च, 2020 को समस्त शेयरधारकों के पास भेजी गयी सूचना के प्रकार्य में निर्धारित

लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान द्वारा किये जायेंगे। रिमोट ई-वोटिंग 8 अप्रैल, 2020 को 09.00 बजे प्रातः खलेगी तथा 09 अप्रैल, 2020 को 05.00 बजे अपराहन बन्द होगी।

3. कट-ऑफ तिथि अर्थात 07 दिसम्बर, 2020 तक भौतिक प्रारूप या डी-मैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारक सदस्य सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लि. (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली तथा ईजीएम में बैलट के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों पर मतदान

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर धारण करता है और ईजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का शेयरधारक बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 07 अप्रैल, 2020 तक शेयर धारण करता है, उसे mayank@hummingbirdeducation.com पर निवेदन भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल सीडीएसएल द्वारा उपर्युक्त समय-सीमा के पश्चात निष्क्रिय कर दिया जायेगा और इसके पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

6. ईजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी।

7. बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है उन्हें बैठक में शामिल होने की अनुमति होगी किन्तु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ)

विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ मंगलवार, 07 अप्रैल, 2020 से शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2020 (कथित ईजीएम हेतु दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। 9. जिस किसी व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड होगा केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा

असाधारण आम बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। 10. अधिनियम की धारा 102 के तहत प्रारूप प्रस्ताव, संगत विवरण तथा मतदान के निर्देश सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए उपर्युक्त ई-मेल

आईडी/अथवा पते पर कम्पनी सचिव से सम्पर्क करें।

कृते हमिंग बर्ड एजूकेशन लिमिटेड

दिनांक: 16.03.2020 नितेश जैन स्थानः नई दिल्ली

डीआईएन : 03150675

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत सेवा में

1. संजय तँवर

डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944 2. सनील तँवर, ऊर्फ सनील कमार

डब्ल्युजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944

3. श्रीमती बिमला डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944 सम्पत्ति का पताः डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015

11.3.2020 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 11.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 21180396 में रु. 8178676.8 (रुपये इक्यासी लाख अठहत्तर हजार छः सौ छियत्तर एवं पैसे आठ मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 3 अगस्त, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सुचना तिथि 12 मार्च, 2020 जारी कर आपको सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 81,78,676.8 (रुपये इक्यासी लाख अठहत्तर हजार छः सौ छियत्तर एवं पैसे आठ मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के

संपत्तियों की अनुसूची

अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

बसई दारापुर, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति नया नं. डब्ल्यूजेड-513-डी, एरिया माप 80 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 698 में जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 15673, पेज नं. 149 से 154, तिथि 24.1.2008 में पंजीकरण सं. 1752 के माध्यम से पंजीकृत उप रजिस्टार (II) जनकपरी, नई दिल्ली के कार्यालय में विमला देवी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 24 जनवरी, 2008 में वर्णित है। सम्पत्ति की चौहद्दीः

पूर्वः गलीः पश्चिमः गली;

उत्तरः अन्य सम्पत्तिः

दक्षिणः उक्त सम्पत्ति का भाग

बसई दारापुर, नई दिल्ली में सम्पत्ति नया नं. डब्ल्यूजेड-513-डी, एरिया माप 50 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 698 में जिसका विस्तृत विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 15673 में पेज नं. 142 से 148 तिथि 24.1.2008 में पंजीकृत सं. 1751 के माध्यम से पंजीकृत उप रजिसट्रार (II) जनकपरी, नई दिल्ली के कार्यालय में विमला देवी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 24 जनवरी, 2008 में दिया गया है। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः हॉस्पीटल

पश्चिमः लेन

उत्तरः अन्य सम्पत्ति दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

चूंकि सूचना 12 मार्च 2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे। स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 17.3.2020 टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

मामले में प्रतिबंधित संगठन जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शनिवार को कहा था कि मलिक और छह अन्य के खिलाफ इस गठित विशेष अदालत के मामले में आरोप तय करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने लिए पर्याप्त सबत मौजुद हैं।

कब्जा सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एव पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में डीसीबी बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सुचन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कॉलम 3 में वर्णित के अनसार ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं से कथित माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी ऋणकर्ताओं तथा सह–ऋणकर्ताओं द्वारा नीचे कॉलम 6 में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने वे कारण ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे कॉलम 4 में वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

HHOMDEL00042141/HHOMDEL00044397/DRST-DEL00401195/ DRBLDEL00401199 कर्जदार/सह-कर्जदार : मयूर कुमार/मंजू अग्रवाल/मैसर्स गिरधर ट्रेडिंग कम्पनी

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण मकान नं. 9, रोड सं. 28, ब्लॉक-टी, डीएलएफ सिटी फेज-III, 04 दिसम्बर, 2019 कब्जा करने की तिथि : 11 मार्च, 2020

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को उपर्युक्त सम्पत्तियों के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन उपर्युक्त राशि तथा उस पर भावी ब्याज और लागत के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

तिथि : 25.02.2020 अधिकृत प्राधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड स्थान : गुरुग्राम

एलसीआरडी डिवीजन नई दिल्ली, 2/2, फेडरल टॉवर्स अपर ग्राउण्ड फ्लोर. वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

FEDERAL BANK दुरभाष नं. 011-40733980,40733978 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in

संदर्भ सं. : NDLW/ SPL907/2020 दिनांक : 16.03.2020 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002

की वित्तीय आस्तियों के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सुचना दी जाती है कि फेडरल बैंक लि. (प्रतिभत लेनदार) के पास बंधक/गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसपर फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 28.02.2020 को भौतिक कब्जा किया गया था, 1. श्री अरविन्द दास पुत्र श्री प्रसन्ना कुमार दास (2) श्रीमती प्रतिमा दास पत्नी श्री प्रसन्ना कुमार दास (3) श्री प्रसन्ना कुमार दास पुत्र श्री नन्दा पूर्णा दास सभी निवासी ई-10/8, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 की उपर्युक्त तिथि तक फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभत लेनदार) की बकाया लागतों तथा अन्य प्रभारों सहित रु. 6.50.63.425/ (रुपये छः करोड़ पचास लाख तिरेसठ हजार चार सौ पच्चीस मात्र) की वसूली के लिए ''जो है वहीं है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी वहीं है" के आधार पर 24.04.2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 7,50,00,000/- (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 75,00,000/- (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) होगी। आरक्षित मुल्य से कम की संविदाएँ तरन्त अस्वीकार कर दी जायेंगी। इस प्रकार संविदाएँ आरक्षित मल्य से ऊपर जमा की जानी हैं।

सम्पत्ति सं. ई–10/8, सम्पूर्ण भूतल सहित कार पाकिंग, सामने लॉन, पीछे कोर्टयार्ड, टॉप टेरेस् के पिछले भाग पर साझा ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक के नीचे एक टॉयलेट सहित सर्वेन्ट क्वार्टर और 30 प्रतिशत अविभाजित अविभाजनीय अपक्षपाती स्वामित्व तथा प्लॉट सं. ई-10/8 में 10 प्रतिशत अविभाजित तथा अविभाजनीय अधिकार सिहत सम्पूर्ण बेसमेंट, माप 450 वर्ग गज, वसन्त विहार, दिल्ली-110057, सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट सं. ७, पश्चिम : प्लॉट सं. ७, उत्तर 15 फीट चौडी सर्विस रोड, दक्षिण : गली नं. ई-10.

सम्पत्ति की बिक्री फेडरल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट : https://www.bankauctions.in में उपलब्ध हैं। सम्भावित संविदाकार मैसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद से ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नं. तथा ई–मेल आईडी :0814200062/65/66 तथा ई-मेल info@bankauctions.in एवं विकास कुमार-08142000809, 08076427383 तथा ई-मेल :vikas@bankauctions.in. निविदा दस्तावेज में प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में संविदाएँ पोर्टल https://www.bankauctions.in के माध्यम जमा करनी होंगी। अन्यथा रूप में जमा संविदाएँ विचार हेतु पात्र नहीं होंगी। ईएमडी डिमाण्ड ड्राफ्ट, ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाता 21470051030003, आईएफएससी FDRL0002147 में जमा करनी होगी। जमा की जाने वाली ईएमडी सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10% होगी जिसे निविदा अस्वीकार होने की स्थिति में वापस कर दिया जायेगा। ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय 23.04.2020 को 5 बजे अप. तक है। कथित अवधि के पश्चात जमा की गयी संविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, नियम एवं शर्तें जिसके द्वारा विक्रय निर्देशित

होगा, एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर 23.04.2020 तक दूसरे तथा चौथे शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य घण्टों के दौरान 12 बजे अपराहन से 4 बजे अपराहन तक प्राप्त किया जा सकता है। सम्पत्ति की नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत नियम एवं शर्तें शाखा निर्माण विहार, एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, उपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर प्रदर्शित की गयी है। इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख, एलसीआरडी डिवीजन, फेडरल बैंक से मोबाइल नं. 9818646777, तथा कार्यालय नं. : 011-40733980, 40733978, 011–40733981 पर सम्पर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया फेडरल बैंक लि. की वेबसाइट में उपलब्ध

1 .https://www.bankauctions.in 2.https://www.federalbank.co.in देखें

कृते फेडरल बैंक लि. नाम तथा पद (अधिकृत प्राधिकारी

टाटा कैपिटल फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 माँग सुचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभृति

हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभृति हित

सेवा में.

अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत 1. विपिन कुमार शर्मा पुत्र रामानन्द शर्मा

निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली

दिल्ली-110009

साथ ही : निवासी आर-111/5, रिशिब नगरी, ग्राम धीरपुर, मॉडल टाउन III.

2. वीके बिल्डिंग मैटीरियल्स

इसके प्रोपराइटर विपिन के माध्यम से

म.नं. 43, दुकान नं. 4, भूतल, ब्लॉक-एम-2, मोहन पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली-

3. जतिन शर्मा. पुत्र श्री विपिन शर्मा

निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-श्रीमती रेखा शर्मा

साथ ही : निवासी आर-111/5, रिशिब नगरी, ग्राम धीरपुर, मॉडल टाउन III,

निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दिल्ली-110009. प्रिय श्रीमान. 27.07.2018 तथा 20.12.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित 12.03.2020 तक क्रमशः ऋण खाता सं 20980289 तथा 8747578 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात ''टीसीएफएसएल'' सन्दर्भित) का रु. 93,04,227.49/- (रुपये तिरानबे लाख चार हजार दो सौ सत्ताईस एवं उनचास पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन के बावजद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देश

के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते 8 दिसम्बर, 2019 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपको भावी ब्याज एवं लागत सहित रु. 93,04,227.49/- (रुपये तिरानबे लाख चार हजार दो सौ सत्ताईस एवं उनचास पैसे मात्र) के कथित ऋण का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए 12.03.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

ग्राम धीरपुर, आबादी रिशिब नगरी, मॉडल टाउन, नई दिल्ली-110009 के क्षेत्र में स्थित

विलेख दिनांक 03.08.2016 में अधिक वर्णित, 03.08.2016 को पेज 98 से 104 पर बुक सं. 1 वॉल्यूम सं. 6438 में पंजीकरण सं. 10146 के माध्यम से कार्यालय उपरजिस्ट्रार IV-ए नई दिल्ली में रेखा शर्मा के पक्ष में क्रियान्वित। सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

पश्चिम : अन्य उत्तर: स्कूल

दक्षिण : 111/-1

12.03.2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं हुई, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत

कृते टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तिथि : 17.03.2020

अनुसूची—। प्ररूप ए

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट व्यक्ति का नाम कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि 29.11.1969 रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता U74899DL1969PTC267533 पहचान कॉपेरिट लोगों की संख्या 808-809, मेघदत, 94, नेहरू प्लेस, कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और दक्षिणी दिल्ली -110019 प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ 14.03.2020 परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, नाम – अतुल मित्तल दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या पता : 163, बाल्को अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन, पटपडगंज, दिल्ली –110092 इमेल आईडी IBBI के साथ पंजीकृतः : a.mittalmc@gmail.com दावे भेजने के लिए ई-मेल आईडी: olympiaelectronics@gmail.com, फोनः 9871830777 पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762 दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

एतद्वारा सचना दी जाती है कि ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 14 मार्च 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है। **ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड** के डितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **13 अप्रैल 2020** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहां जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्टॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

13.04.2020

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंढनीय होगी। अतुल मित्तल दिनांक : 16.03.2020 ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए परिसमापक पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762

> बिक्री सूचना बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड

बी-85, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110020 भारत र्ड-नीलामी

दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत

आदेश तिथि 18 फरवरी, 2019 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी, नई

(परिसमापन में)

दिल्ली पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक, मनोज कुमार आनन्द द्वारा परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाले बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व के वाहनों की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल https://bankauctions.in के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म द्वारा की जायेगी। इच्छुक आवेदक सेवा प्रदाता की वेबसाईट के अधोलिखित पते www.bankeauctions.in पर अपलोड की गई सम्पूर्ण ई नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में नीलामी के विवरणों को देख सकते हैं। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी (प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

वाहन का विवरण	ाबक्रा का तरीका	नालामा का तिथि एवं समय	आराक्षत मूल्य (रु. में)	इएमडा साश एव दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	बाला वृद्धि मूल्य
होण्डा एकॉर्ड मॉडल 2013 DL3CCC-2264	ई– नीलामी	27.3.2020 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	411000/ -	रु. 42000 (जमा करने की अंतिम तिथिः 25.3.2020	5000
नियम एवं शर्ते		0			

ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ४ क्लोजर द्वारा की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑन लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम शर्तों से शामिल ई-नीलामी निविदा www.bankeauctions.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री विकास कुमार (एम-8142000809), ईमेलः vikas@bankauctions.in वाहन के निरीक्षण की तिथिः 20 एवं 21 मार्च, 2020 को 12.15 अप. से 5.00 बजे अप. तक 2 कम्युनिटी सेन्टर, 3रा तल (पीवीआर/मैकडोनाल्ड के निकट)

नारायणा, नई दिल्ली-110028 में। इच्छुक बोलीदाताओं को बेस्ट टेक्स्टाइल्स लि. (सीआईआरपी के अंतर्गत परिसमापन में) के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डीडी) द्वारा अथवा अधोलिखित खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा ईएमडी का

भगतान करना होगा। बैंक का नामः ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता धारक का नामः बेस्ट टेक्स्टाइल्स लि.

(सीआईआरपी के अंतर्गत परिसमापन में)

आईएफएससी कोड : ORBC0100007

बैंक खाता सं.: 00071242000062

मनोज कुमार आनन्द बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180

हस्ता./-

तिथि: 17.3.2020 ईमेल आईडी: anandmanoja@gmail.com स्थानः नई दिल्ली सम्पर्क नं.: 011-45051903, 45641903

1 टाटा कैपिटल फाइनासियल सर्विसेस लिमिटेड 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, मांग सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के

साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत 1. वरुण दुआ, मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092

साथ हीं: मकान सं. IX/2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 2. श्रीमती उषा रानी, उर्फ उषा दुआ, मकान सं. IX/2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 साथ हीः मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092

3. नीरज दुआ, मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092 साथ हीं: मकान सं. 2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 4. मै. विहान एस ऑटो नेशन 9, भू तल, प्रिया एन्क्लेव, कड़कड़डूमा, दिल्ली-

सम्पत्ति का पताः मकान सं. IX/2122-ए, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031

30.6.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 5.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 68,51,902.55 (रुपये अड्सठ लाख इक्यावन हजार नौ सौ दो एवं पैसे पच्चीस मात्र) बकाया हो गया है हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सुचना तिथि 05.03.2020 जारी कर आपको सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 68,51,902.25 (रुपये अड़सट लाख इक्यावन हजार नौ सौ दो एवं पैसे पच्चीस मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभृति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

सम्पत्ति सं. IX/2122-ए, खसरा नं. 614/490/23/2 में जो ग्राम सीलमपुर, गली नं. 08, की आबादी, कैलाश नगर इलका शाहदरा, दिल्ली-110031 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल माप 28.25 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 23.62 वर्ग मी. है जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1137 में पेज 137 से 145 तिथि 21.07.2017 में पंजीकरण सं. 4864 के माध्यम से उषा रानी (ऊर्फ उषा दुआ) के पक्ष में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तथा रेलिंक्विशमेन्ट डीड तिथि 20.07.2017 में दिया गया है। सम्पत्ति की चौहदी: पूर्वः गली नं. 8 पश्चिमः सम्पत्ति सं. IX/2122-बी

उत्तरः अन्य सम्पत्ति दक्षिणः सम्पत्ति सं. IX/2123

चूंकि सूचना 05.03.2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य

रूप से उक्त प्रतिभृत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे। स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. तिथि: 17.3.2020

बिल्ट अप सम्पत्ति सं. आर-111/5, माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 17, विक्रय

पूर्व : सड़क

चुँकि आप लाभ हेतु जिस मुल पते पर निवास/व्यापारिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर

आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी